भारत संघ और अन्य

बनाम

अंगद सिंह तीतरिया

(सिविल अपील संख्या 11208/2011)

24 फ़रवरी, 2015

[सुधांसु ज्योति मुखोपाध्याय और एन.वी. रमना, जेजे.]

भारतीय वायु सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961: विनियम 153 मेडिकल बोर्ड के लिए विकलांगता पेंशन दावा ने सिफारिश की कि विकलांगता वायु सेना में सेवा के कारण नहीं थी और न ही बढ़ी थी: प्रतिवादी के पहले किसी भी बीमारी से पीड़ित होने के बारे में किसी विशेष नोट के अभाव में सेवा में शामिल होने के लिए, यह माना जाता है कि पात्रता नियमों के नियम 5 (ए) के अनुसार सेवा में प्रवेश करते समय वह स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति में था, बिना कोई कारण बताए केवल यह निष्कर्ष दर्ज करना कि विकलांगता सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं थी, यह दर्शाया जाएगा मेडिकल बोर्ड द्वारा दिमाग के उचित उपयोग की कमी मेडिकल बोर्ड द्वारा लिए गए विचार को बरकरार नहीं रखा गया, ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी को उसके निर्वहन की तारीख से 60% विकलांगता के

लिए विकलांगता पेंशन देने में कोई त्रुटि नहीं की, कैजुअल्टी पेंशन पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम, 1982 आरआर. 5, 14(बी), 14(सी), 15।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

1. बेशक, उसके नामांकन के समय वर्ष 1971 में भारतीय वायु सेना के रोजगार में, प्रतिवादी की चिकित्सकीय और शारीरिक जांच की गई और निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार फिट पाया गया। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि प्रतिवादी को उसकी बीमारियों के कारण निम्न चिकित्सा वर्गीकरण ए 4 जी4 (स्थायी) के तहत रखा गया था। मेडिकल बोर्ड ने प्रतिवादी की समग्र विकलांगता 60% आंकी। पात्रता नियमों का नियम 4 यह स्पष्ट करता है कि विकलांगता पेंशन देने के लिए सेवा से अमान्य होना एक आवश्यक शर्त है। एक व्यक्ति, जो रिहाई विनियमों के तहत अपनी रिहाई के समय, उस श्रेणी से कम चिकित्सा श्रेणी में है जिसमें उसे भर्ती किया गया था, उसे "सेवा से अमान्य" माना जाएगा। [पैरा 9, 10] [533-सी, डी; 534-ए-बी]

2. सबूत देने का दायित्व दावेदार (कर्मचारी) पर नहीं है, इसका परिणाम यह है कि सबूत देने का दायित्व यह है कि गैर-पात्रता की स्थिति नियोक्ता के पास है। नियम 14 के उप-नियम (बी) के अनुसार, जिस बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की छुट्टी हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, उसे आम

तौर पर सेवा में उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि व्यक्ति की सैन्य सेवा के लिए स्वीकृति के समय इसका कोई नोट नहीं बनाया गया था। हालाँकि, यदि चिकित्सकीय राय यह मानती है कि नामांकन के समय बीमारी का पता नहीं चल सका, तो यह बीमारी सेवा के दौरान उत्पन्न नहीं मानी जाएगी। उस स्थिति में, चिकित्सा राय में वैध कारण शामिल होने चाहिए कि बीमारी सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं है। [पैरा 12, 14] [535-सी; 536-डी-जी]

3. मौजूदा मामले में, प्रतिवादी को आगे की पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया और इस तरह उसके मेडिकल में होने के आधार पर उसे अमान्य कर दिया गया। श्रेणी A4 G4 (स्थायी)। सेवा में शामिल होने से पहले प्रतिवादी किसी बीमारी से पीड़ित था, इस बारे में रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट नोट के अभाव में, यह माना जाएगा कि पात्रता नियमों के नियम 5 (ए) के अनुसार सेवा में प्रवेश करते समय उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी थी। तथ्य यह है कि प्रतिवादी को चिकित्सा आधार पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था और इसलिए, उसके स्वास्थ्य में गिरावट को पात्रता नियमों के नियम 5 (बी) के आलोक में सेवा के कारण माना जाएगा। इसके अलावा, केवल यह निष्कर्ष दर्ज करना कि विकलांगता सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बिना यह कारण बताए कि बीमारियों को सेवा के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाता है,

मेडिकल बोर्ड द्वारा दिमाग के उचित उपयोग की कमी को दर्शाता है। मेडिकल बोर्ड द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता। ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी को उसके डिस्चार्ज होने की तारीख से 60% विकलांगता के लिए 10% प्रति वर्ष के साथ विकलांगता पेंशन देने में कोई त्रुटि नहीं की। बकाया पर ब्याज। [पैरा 16,17] [538-डी-एच; 539-ए,सी]

रक्षा मंत्रालय बनाम ए.वी. दामोदरन (2009) 9 एससीसी 140: 2009 (13) एससीआर 416; भारत संघ बनाम केशर सिंह (2007) 12 एससीसी 675: 2007 (5) एससीआर 408; भारत संघ बनाम बलजीत सिंह (1996) 11 एससीसी 315: 1996 (7) पूरक। एससीआर 626; रक्षा लेखा नियंत्रक बनाम एस बालाचंद्रन नायर (2005) 13 एससीसी 128: 2005 (4) पूरक। एससीआर 431; धर्मवीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2013) 7 एससीसी 316 - पर निर्भर।

केस कानून संदर्भ

2009 (13) एससीआर 416	पर भरोसा	पैरा 5
2007 (5) एससीआर 408	पर भरोसा	पैरा 5
1996 (7) पूरक एससीआर 626	पर भरोसा	पैरा 5
2005 (4) पूरक एससीआर 431	पर भरोसा	पैरा 5
(2013) 7 एससीसी 316	पर भरोसा	पैरा 7

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 11208/2011।

चंडी मंदिर स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच 2010 के ओ.ए. नंबर 837 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.12.2010 से।

अपीलकर्ताओं के लिए रमा मुखर्जी, बी.वी. बलराम दास, चेतन चावला, अनिल कटियार।

प्रतिवादी के लिए कर्नल एस.आर. कलकल, आर.सी. कौशिक।

न्यायालय का निर्णय एन.वी. रमना, जे. द्वारा दिया गया था।

1. यह अपील सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़, चंडीमंदिर की पीठ द्वारा ओए नंबर 837/2010 में पारित दिनांक 3 दिसंबर, 2010 के आक्षेपित आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने विकलांगता पेंशन अनुदान के लिए प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

2. मामले के निर्विवाद तथ्य यह हैं कि यहां प्रतिवादी 13 नवंबर, 1971 को लिपिकीय व्यापार में भारतीय वायु सेना में नामांकित हुआ था। उनकी भर्ती के समय, संबंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी की चिकित्सकीय और शारीरिक जांच की गई और उसे SHAPE-I के रूप में जाने जाने वाले चिकित्सा वर्गीकरण में निर्धारित मानकों के अनुसार फिट पाया गया। 17 जुलाई, 1987 को, भारतीय वायु सेना में अपनी सेवा की

अवधि के दौरान, प्रतिवादी को कमांडो अस्पताल (वायु सेना), बैंगलोर में भर्ती कराया गया था जहाँ वह थे। कोरोनरी धमनी रोग अर्थात् इन्फ़ेरो-लेटरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन (1 विकलांगता) का निदान किया गया। इसलिए प्रतिवादी को सितंबर, 1987 से निम्न चिकित्सा वर्गीकरण में रखा गया था। बीमारी के बढ़ने के कारण स्वास्थ्य में गिरावट के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी को फिर से डाउनग्रेड किया गया और चिकित्सा वर्गीकरण ए 4 जी 3 (स्थायी) में रखा गया। जब प्रतिवादी 2228 स्क्वाड्रन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, तब उसे भी इस बीमारी का पता चला। वर्ष 2006 में टाइप-II मधुमेह मेलिटस (20 विकलांगता)। इसके बाद, 27 नवंबर, 2008 को प्रतिवादी को रिलीज मेडिकल बोर्ड के पास भेजा गया। मेडिकल बोर्ड ने उनकी 1 विकलांगता यानी कोरोनरी धमनी रोग का मूल्यांकन 60% और 2 विकलांगता का 15 से 19% मूल्यांकन किया। हालाँकि समग्र विकलांगता का मूल्यांकन 60% किया गया था। मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की कि उपरोक्त दोनों विकलांगताएं प्रकृति में संवैधानिक पाई गईं और वायु सेना में सेवा के कारण नहीं बढ़ीं और न ही बढ़ीं। तदनुसार, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विकलांगता पेंशन दावे को सक्षम पेंशन मंजूरी प्राधिकारी यानी वायु सेना रिकॉर्ड कार्यालय ने अपने आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2009 द्वारा खारिज कर दिया है।

3. इससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने अपीलीय समिति के समक्ष प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 द्वारा इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों विकलांगताएं न तो सेवा के कारण हैं और न ही सेवा (एनएएनए) के कारण बढ़ी हैं और 14 दिनों के कर्तव्यों के चार्टर में सेना के तनाव और तनाव में होने का कोई खुलासा नहीं हुआ है। सेवा। इस समय, प्रतिवादी 30 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन की सेवा प्रदान करने के बाद 31.10.2009 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। रक्षा मंत्री की अपीलीय समिति के समक्ष दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई। इसके बाद प्रतिवादी ने 2010 की ओ.ए. संख्या 837 दायर किया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ("संक्षेप में न्यायाधिकरण) के समक्ष जो अस्तित्व में आई। अपीलकर्ताओं को विकलांगता पेंशन के विकलांगता तत्व का आकलन करने और याचिकाकर्ता के पक्ष में 60% विकलांगता के लिए उसकी सेवामुक्ति की तारीख से 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बकाया जारी करने का निर्देश दिया गया।

4. अपीलकर्ता-भारत संघ ने ट्रिब्यूनल के निर्णय से व्यथित होकर इस अपील को प्राथमिकता दी। हमने देखा है कि वर्तमान अपील दायर करने में 234 दिनों की देरी हुई है। हालाँकि, हम देरी माफ़ी के लिए आवेदन में बताए गए कारणों के आधार पर देरी माफ़ करते हैं।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भारतीय वायु सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 (भाग -1) (संक्षेप में "विनियम") के विनियम संख्या 153 के अनुसार विकलांगता या तो वायु सेना के कारण होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। सेवा। जबकि वर्तमान मामले में रिलीज मेडिकल बोर्ड, जो एक विशेषज्ञ निकाय है, ने स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की है कि प्रतिवादी द्वारा झेली गई विकलांगता न तो सेवा और संवैधानिक प्रकृति के कारण थी और न ही बढ़ी हुई थी। ट्रिब्यूनल ने रिलीज मेडिकल बोर्ड की 27 नवंबर 2008 की राय को नजरअंदाज कर गंभीर गलती की है। रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी पर विकलांगता की शुरुआत शांति स्थानों पर हुई थी क्योंकि प्रतिवादी, प्रासंगिक समय पर, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों या बर्फ से ढके दूरदराज के क्षेत्रों में ड्यूटी पर नहीं लगा था। वह युद्ध क्षेत्र में नहीं था या गहन शारीरिक या हथियार प्रशिक्षण से नहीं गुजर रहा था। प्रतिवादी न तो युद्धबंदी था और न ही उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते समय प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। अपने पूरे रोजगार के दौरान, प्रतिवादी ने शांति स्टेशन में सेवा की है। इसलिए, सेवा के कारण कोई तनाव या परेशानी नहीं हो सकती है विकलांगता की शुरुआत हुई है। मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट और स्पष्ट रूप से कहा हैयह देखा गया कि प्रतिवादी की विकलांगताएँ "सेवा से जुड़े नहीं थे" और इसलिए वे "दोनों में से किसी

एक की श्रेणी में न आएं वायु सेना सेवा के लिए जिम्मेदार या उसके द्वारा बढ़ाए जाने योग्य" जो विकलांगता प्रदान करने के लिए एक शर्त है पेंशन. निर्णायक प्राधिकारी भी प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी सही ढंग से विज्ञप्ति की सिफ़ारिशों को बरकरार रखा मेडिकल बोर्ड ने विकलांगता को सही नकारा प्रतिवादी को पेंशन, लेकिन न्यायाधिकरण विफल रहा विज्ञप्ति की सिफ़ारिश की सराहना करने के लिए मेडिकल बोर्ड ने गंभीर गलती की है प्रतिवादी के मूल आवेदन की अनुमति देना। उनके इस तर्क के समर्थन में कि न्यायालय ने अनुदान देने या अन्यथा देने के मामले पर निर्णय लेना विकलांगता पेंशन को उचित महत्व और महत्व दिया जाना चाहिए और विशेषज्ञ निकाय की राय पर विश्वास, विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया रक्षा मंत्रालय में बनाम. ए.वी. दामोदरन (2009) 9 एससीसी 140, भारत संघ बनाम। केशर सिंह (2007) 12 एससीसी 675, भारत संघ बनाम। बलजीत सिंह (1996) 11 एससीसी 315 और नियंत्रक रक्षा लेखा बनाम एस बालचंद्रन नायर (2005) 13 एससीसी 128. अंततः विद्वान वकील प्रस्तुत किया गया कि ट्रिब्यूनल पूरी तरह से विफल रहा है स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में और इसलिए यह अपील आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि घोषणा रिलीज मेडिकल बोर्ड का कहना है कि प्रतिवादी की बीमारी "न तो सेवा के कारण जिम्मेदार थी और न ही सेवा के कारण बढ़ी, यह मनमाना और गैरकानूनी था क्योंकि बोर्ड ने नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया था और इसके तहत बनाए गए नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में मामले का फैसला किया। विकलांगता का आकलन परिशिष्ट-II के तहत निर्धारित हताहत पेंशन पुरस्कार, 1982 (संक्षेप में पात्रता नियमों के लिए) के लिए पात्रता नियमों के विनियमन संख्या 153 और नियम 5, 14 (बी), 14 (सी) और 15 के अनुसार जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी है। परिशिष्ट-III से परिशिष्ट-II में निर्दिष्ट नियमों का पालन करना। लेकिन बोर्ड ने सभी प्रासंगिक नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया और मनमाने ढंग से प्रतिवादी के मामले का फैसला किया। बोर्ड ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि प्रतिवादी को भर्ती के समय चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से फिट पाए जाने के बाद 13 नवंबर, 1971 को भारतीय वायु सेना में नामांकित किया गया था। विकलांगता नंबर 1 की शुरुआत वर्ष 1987 में हुई थी जो कि 16 साल की सेवा प्रदान करने के बाद है। अपनी सेवा के दौरान, प्रतिवादी को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया जहाँ उसे बहुत तनाव में अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ा। और तनाव. सेवा की अवधि के दौरान उभरी

विकलांगताओं के परिणामस्वरूप प्रतिवादी को वारंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी का नाम पदोन्नति पैनल 2008-2009 के लिए और फिर 2009-2010 में एयरमैन के अगले पदोन्नति पैनल में सूचीबद्ध किया गया था। उनका नाम मेडिकल श्रेणी A4 G4 (स्थायी) में रखे जाने के कारण प्रमोशन पैनल से हटा दिया गया था।

7. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि जैसे पात्रता नियमों के नियम 9, 5 (बी) और 14 (बी) के अनुसार बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में विशिष्ट निष्कर्ष देना चाहिए था कि विकलांगता को सेवा के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाता है, खासकर जब प्रतिवादी किसी से प्रभावित नहीं था वायु सेना में नामांकन के समय बीमारी। बोर्ड द्वारा इस तरह के विशिष्ट निष्कर्षों की अनुपस्थिति में, केवल यह घोषणा प्रस्तुत करना कि विकलांगता संवैधानिक प्रकृति की है, न तो सेवा के कारण है और न ही सेवा के कारण बढ़ी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और विकलांगता पेंशन के लिए प्रतिवादी के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने धर्मवीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2013) 7 एससीसी 316। इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि रिलीज मेडिकल बोर्ड एक विशेषज्ञ निकाय है, निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के पास विशेषज्ञ निकाय

द्वारा दी गई राय की शुद्धता या अन्यथा हस्तक्षेप करने और निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय से विशेषज्ञ निकाय की राय का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके अलावा, चिकित्सा सेवाओं, सशस्त्र बलों, 1983 के विनियम 423 (ए) के संदर्भ में, यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि विकलांगता या मृत्यु का कारण सेवा है या नहीं, यह मायने नहीं रखता है कि क्या कारण उत्पन्न हो रहा है विकलांगता या मृत्यु क्षेत्र सेवा/सक्रिय सेवा क्षेत्र घोषित क्षेत्र में या सामान्य शांति परिस्थितियों में हुई हो। वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनल बोर्ड द्वारा दी गई राय पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही सही निष्कर्ष पर पहुंचा। कानूनी मानदंड और निर्धारित नियम और विनियम और इसलिए विवादित आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया।

8. दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी विवादों को सुनना। हमारे विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी को उसके रोजगार के दौरान हुई विकलांगता उसकी सेवा के कारण है या नहीं, जो उसे कानून के अनुसार विकलांगता पेंशन का लाभ देने का हकदार बनाती है।

9. माना जाता है कि, वर्ष 1971 में भारतीय वायु सेना के रोजगार में नामांकन के समय, प्रतिवादी की चिकित्सकीय और शारीरिक जांच की गई और निर्धारित अनुसार फिट पाया गया। चिकित्सा मानक. रिकॉर्ड पर

मौजूद सामग्री से पता चलता है कि प्रतिवादी को उसकी बीमारियों के कारण निम्न चिकित्सा वर्गीकरण ए 4 जी4 (स्थायी) के तहत रखा गया था। मेडिकल बोर्ड ने प्रतिवादी की समग्र विकलांगता 60% आंकी। पेंशन विनियमों में उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट किया गया है जिनके तहत किसी व्यक्ति को विकलांगता पेंशन दी जा सकती है। विनियमन संख्या 153 इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

> 153. विकलांगता पेंशन देने के लिए प्राथमिक शर्त जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से प्रदान न किया गया हो, विकलांगता पेंशन ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जो किसी विकलांगता के कारण सेवा से अमान्य/मुक्त कर दिया गया हो, जो वायु सेना सेवा के कारण हो या बढ़ गई हो और जिसका मूल्यांकन 20 पर किया गया हो। % या खत्म।
>
> यह प्रश्न कि क्या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होती है या बढ़ जाती है, नियम परिशिष्ट-II में के तहत निर्धारित किया जाएगा।

10. पात्रता नियमावली का नियम 4 यह स्पष्ट करता है कि सेवा से अमान्य किया जाना आवश्यक है। विकलांगता पेंशन अनुदान हेतु शर्तें एक व्यक्ति, जो रिहाई विनियमों के तहत अपनी रिहाई के समय, उस श्रेणी से

कम चिकित्सा श्रेणी में है। जिसमें उसे भर्ती किया गया था, उसे "सेवा से अमान्य" माना जाएगा। विकलांगताओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से, नियम 5 के तहत दो धारणाएँ प्रदान की गई हैं। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

> "**5**. हताहत पेंशन पुरस्कारों की पात्रता और विकलांगता के मूल्यांकन के प्रश्न का दृष्टिकोण निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित होगा:
>
> सेवा से पहले और सेवा के दौरान
>
> (ए) यह माना जाता है कि सेवा में प्रवेश करते समय एक सदस्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी थी, प्रवेश के समय नोट की गई या दर्ज की गई शारीरिक अक्षमताओं को छोड़कर।
>
> (बी) बाद में उन्हें चिकित्सा आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिए जाने की स्थिति में, उनके स्वास्थ्य में जो भी गिरावट हुई है, वह सेवा के कारण है।"

11. पात्रता नियमों के नियम 9 में यह आदेश दिया गया है कि पात्रता शर्तों को साबित करने का भार किस पर है। उक्त नियम नीचे उद्धृत किया गया है:

9. सबूत का दायित्व. दावेदार को हकदारियों की शर्तों को साबित करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उसे किसी भी उचित संदेह का लाभ मिलेगा। यह लाभ फील्ड/फ्लोट सेवा मामलों में दावेदारों को अधिक उदारतापूर्वक दिया जाएगा।

12. सबूत के दायित्व के पहलू पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने धर्मवीर सिंह (सुप्रा) में कहा:

> "सबूत का दायित्व दावेदार (कर्मचारी) पर नहीं है, परिणाम यह है कि सबूत का दायित्व नियोक्ता के पास है कि गैर-पात्रता की स्थिति नियोक्ता के पास है। एक दावेदार को किसी भी उचित संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है और वह पेंशन पाने का हकदार है अधिक उदारतापूर्वक लाभ उठाएं"।

13. पात्रता नियमों के नियम 14 में यह निर्धारित किया गया है कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि कोई बीमारी सेवा के दौरान उत्पन्न हुई मानी जाएगी या नहीं। यह पढ़ता है। इस प्रकार:

> 14. रोग - रोगों के संबंध में निम्नलिखित नियम का पालन करना होगा।

(ए) ऐसे मामले जिनमें यह स्थापित हो गया है कि सैन्य सेवा की शर्तों ने बीमारी की शुरुआत का निर्धारण या योगदान नहीं किया है, लेकिन बीमारी के बाद के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है, उन्हें उग्रता के आधार पर स्वीकार किया जाएगा।

(बी) एक बीमारी जिसके कारण किसी व्यक्ति की छुट्टी हो गई या मृत्यु हो गई, उसे सामान्यतः उत्पन्न हुआ माना जाएगा। सेवा, यदि सैन्य सेवा के लिए व्यक्ति की स्वीकृति के समय इसका कोई नोट नहीं बनाया गया था। हालाँकि, यदि चिकित्सीय राय, बताए जाने वाले कारणों से, यह मानती है कि सेवा के लिए स्वीकृति से पहले चिकित्सीय परीक्षण में रोग का पता नहीं लगाया जा सका है, तो रोग को सेवा के दौरान उत्पन्न नहीं माना जाएगा।
(सी) यदि किसी बीमारी को सेवा में उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की शर्तें बीमारी की शुरुआत में निर्धारित या योगदान करती हैं और ये स्थितियां सैन्य सेवा में कर्तव्य की परिस्थितियों के कारण थीं।

14. इस प्रकार, नियम 14 के उप-नियम (बी) को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि जिस बीमारी के कारण किसी व्यक्ति को छुट्टी मिल गई या मृत्यु हो गई, उसे आम तौर पर सेवा में उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि इसका कोई नोट नहीं बनाया गया है सैन्य सेवा के लिए व्यक्ति की स्वीकृति के समय। हालाँकि, यदि चिकित्सकीय राय यह मानती है कि नामांकन के समय बीमारी का पता नहीं चल सका, तो यह बीमारी सेवा के दौरान उत्पन्न नहीं मानी जाएगी। उस मामले में, यह भी महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा राय में वैध कारण शामिल होने चाहिए कि बीमारी सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं है।

15. हाल ही में, इस न्यायालय ने इसी तरह के एक मामले में (भारत संघ और अन्य बनाम राजबीर सिंह (2011 की सिविल अपील संख्या 2904 आदि) 13 फरवरी, 2015 को निर्णय लिया) धर्मवीर सिंह (सुप्रा) पर विचार करने के बाद और दावेदारों को विकलांगता पेंशन देने के ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा:

> "....नियमों का सार, जैसा कि पहले देखा गया है, यह है कि सशस्त्र बलों के एक सदस्य को सेवा में प्रवेश के समय स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति में माना जाता है यदि उस समय कोई नोट या इसके विपरीत रिकॉर्ड नहीं किया गया हो। ऐसी प्रविष्टि का. इससे भी महत्वपूर्ण बात

यह है कि बाद में चिकित्सा आधार पर सेवा से छुट्टी मिलने की स्थिति में, उनके स्वास्थ्य में कोई भी गिरावट सैन्य सेवा के कारण मानी जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही बल के किसी सदस्य को चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी जाती है, उसकी विकलांगता पेंशन का दावा करने का अधिकार तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि नियोक्ता इस धारणा का खंडन करने की स्थिति में न हो कि उसे जो विकलांगता झेलनी पड़ी, वह न तो इसके लिए जिम्मेदार थी और न ही सैन्य सेवा इससे बढ़ी है।

....अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विकलांगता पेंशन के भुगतान का प्रावधान एक लाभकारी प्रावधान है जिसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके जिन्हें सशस्त्र में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही कई बार विकलांगता के कारण घर भेज दिया गया हो ताकतों।

....वास्तव में ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बीमारी पूरी तरह से सेना से संबंधित नहीं थी सेवा, लेकिन, उस आधार पर विकलांगता पेंशन से इनकार को उचित ठहराया जा सकता है, यह सकारात्मक रूप से साबित होना चाहिए कि

बीमारी का ऐसी सेवा से कोई लेना-देना नहीं है। इस तरह के संबंध विच्छेद को स्थापित करने का भार नियोक्ता पर भारी पड़ेगा अन्यथा नियम यह मान लेते हैं कि सेवा के सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट सैन्य सेवा के कारण है या इससे बढ़ गई है। किसी सैनिक से यह साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता कि उसे यह बीमारी सैन्य सेवा के कारण हुई थी या उसी के कारण बढ़ी थी।"

16. यहां मौजूदा मामले में, प्रतिवादी को आगे की पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया और इस तरह उसके मेडिकल में होने के आधार पर अमान्य कर दिया गया। श्रेणी ए 4 जी4 (स्थायी)। सेवा में शामिल होने से पहले प्रतिवादी किसी बीमारी से पीड़ित था, इस बारे में रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट नोट के अभाव में, यह माना जाएगा कि पात्रता नियमों के नियम 5 (ए) के अनुसार सेवा में प्रवेश करते समय उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी थी। तथ्य यह है कि प्रतिवादी को चिकित्सा आधार पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था और इसलिए उसके स्वास्थ्य में गिरावट को पात्रता नियमों के नियम 5 (बी) के आलोक में सेवा के कारण माना जाएगा। इसके अलावा, केवल यह निष्कर्ष दर्ज करना कि विकलांगता सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बिना कोई कारण बताए कि बीमारियों को सेवा के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाता है,

स्पष्ट रूप से मेडिकल बोर्ड द्वारा दिमाग के उचित उपयोग की कमी को दर्शाता है। हम मेडिकल बोर्ड द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रख सकते।

17. उपरोक्त चर्चा किए गए नियमों और विनियमों के साथ-साथ धर्मवीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य। (सुप्रा) और भारत संघ एवं अन्य बनाम राजबीर सिंह (सुप्रा), में दोहराया गया। इस न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के स्थापित सिद्धांतों के आलोक में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए। हमारी सुविचारित राय है कि ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी को उसकी छुट्टी की तारीख से 60% विकलांगता के लिए 10% प्रति वर्ष के साथ विकलांगता पेंशन देने में कोई त्रुटि नहीं की है। बकाया पर ब्याज. ऊपर बताए गए सभी कारणों से, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है और इसे लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

18. अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी को विकलांगता पेंशन का बकाया आज से तीन महीने के भीतर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित जारी करें।

देविका गुजराल अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चन्द्र शेखर शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।